

श्री राणा प्रताप
मैडम शेवला

03/10/19

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम-05 की धारा-6(1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्रारूप)

सेवा में,

~~जन सूचना अधिकारी
कार्यालय - पावर ग्रिड कारपोरेशन
ऑफ इण्डिया लिमिटेड~~

प्रेषक:-

1. आवेदक का नाम विशाल सिंह पुग श्री रतन सिंह
2. पूरा पता गाँव वजहेरा पोस्ट दिग्नेर जिला - आगरा 203125
3. दूरभाष 9759523065
4. आवेदन देने का दिनांक 28/9/19
5. कार्यालय का नाम जहाँ से सूचना चाहिये पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
6. नागरिकता (राज्य) उत्तर प्रदेश
7. चाही गयी जानकारी का विवरण I - फार्म संख्या - 9511 दिनांक 6-11-17 से 220 K.P. आगरा मरतपुर धारिषण कांड न हेतु विशाल सिंह पुग रतन सिंह निवासी वजहेरा तहसील दिग्नेर जिला आगरा के निदेशन नं० 37/0 से 37/1 पर पीपल के तीन पेड़ शीशम के दस पेड़ गुल्म के चार पेड़ नाम के आठ पेड़ों को नीचे निदेशन प्रमाणित करके आगे विभाग द्वारा काट लिया गया कि वह हटाने का मुआवजा आपदेशन प्राप्ति की क्विन्टाना एवं फ्लोर संकलन किया जाये (नोट संख्या) के विभाग गया ही इसकी रिपोर्ट उपलब्ध कर आने ही विभाग का ही न दिव्य जाने का कारण स्पष्ट करें। II - प्रमाणित समस्त अधिकारी विभाग द्वारा क्विन्टाना निर्धारित विभाग का ही यह स्पष्ट करें यदि नहीं विभाग का ही न कारण स्पष्ट करें।
8. आवेदन के साथ आद किये जाने वाले शुल्क 10 शीशम नशद नोट संख्या 230 J 58 J 8 संलग्न है।
9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है, हाँ/नहीं नहीं

आवेदक के हस्ताक्षर
विशाल सिंह

यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन पत्र प्रेषित किया जाता है तो स्वयं का पता अंकित करते हुये आवश्यक

धनराशि का टिकट लगा लिफाफा संलग्न करें।

नोट - नोटिस दिनांक 6/11/19 की फोटोकॉपी संलग्न है।

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

उत्तरी क्षेत्र-1, आगरा समूह

12.6 कि०मी० आगरा शमशाबाद मार्ग डाकघर-श्यामो आगरा - 282325

कार्यालय ☎ : 0562-2771204



पावरग्रिड

फार्म संख्या : 951

पत्रांक सं. :- एन-1/एच.वी.डी.सी./पेड़

दिनांक: 6/11/2017

विषय:- ±800 के वी एच वी डी सी निधौरा-आगरा पारेषण लाइन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में।

महोदय, 220 के.वी. आगरा-शमशाबाद (जिला पारेषण लाइन)

श्री. विद्याल सिंह पुत्र श्री. रतन सिंह जाति ठाकुर
ग्राम. वजहवा पोस्ट दिगौर तहसील सदा जिला आगरा

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचना दी जाती है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार का उद्यम) ±800 के वी. एच. वी. डी. सी. निधौरा-आगरा पारेषण लाइन का निर्माण कर रहा है। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन एवं जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि लाइन के दोनों तरफ मध्य से 34.5 मीटर तक की दूरी के निशानयुक्त वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है, काट लिये जाएं। इसके लिए विभाग को इण्डियन इलेक्ट्रीसिटी (सप्लाइ) एक्ट - 1948 की धारा 42 के साथ पठित इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 भाग-3 के अन्तर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्य करने को प्रावधानित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय से सम्पर्क कर तथा अनुमति प्राप्त कर वृक्षों को काट ले अन्यथा उक्त अवधि समाप्त होने के पश्चात इस विभाग द्वारा काट दिये जायेंगे। ऐसी दशा में लकड़ी की क्षति या किसी अन्य प्रकार की क्षति को लिये विभाग कदापि उत्तरदायी नहीं होगा। वृक्षों का मुआवजा तहसीलदार/सम्बन्धित राजकीय विभाग द्वारा निर्धारित तथा सत्यापित एवं वृक्षों के पातन के बाद पावरग्रिड के द्वारा देय होगा।

वृक्षों का विवरण

क्र.सं.	लोकेशन नं.	वृक्ष का नाम/प्रजाति	संख्या	वृक्ष की गोलाई (मीटर) (सोने की ऊँचाई पर)	वृक्ष की अनुमानित आयु	खसरा नं./मौजा	अन्य विवरण
	37/0	पीपल	03	2.10, 104, 112			
	70	शीतल	10	35, 65, 90, 65,			
	37/1	कुआर	04	95, 145, 75, 77, 60	1.00		
		नाम	08	65, 79, 108, 90			
				77, 120, 56, 65,			
				47 35, 35, 78			

कृते पावरग्रिड, आगरा

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार..... सदा जिला आगरा

आपको यह पत्र इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता है कि वृक्षों का उचित मुआवजा बनाकर एवं स्वामित्व प्रमाणित कर इस कार्यालय को प्रेषित करें जिससे वृक्षों का मुआवजा दिया जा सके।

2. उप जिला अधिकारी.....

कृपया दिये गये विवरण के अनुसार उपरोक्त वृक्ष मालिकों को भारत सरकार के उद्यम के हित को ध्यान में रखते हुए वृक्षों को काटने की अनुमति दें। यदि उक्त वृक्ष मालिक निर्धारित अवधि में विधिक कार्यवाही सम्पन्न कर अनुमति नहीं प्राप्त कर पाता है तो विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इण्डियन टेलीग्राफ एक्ट के अधीन तथा सुरक्षा अधिनियमों को ध्यान में रखकर अधोहस्ताक्षरी को उल्लिखित वृक्षों को काटने की अनुमति प्रदान करे ताकि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्वयं के हित से पूर्ण की जा सके।

नोटिस प्राप्त किया :

(नाम सहित हस्ताक्षर)

मुख्य प्रबंधक / प्रबन्धक (पारेषण लाइन निर्माण)

तहसील कार्य हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि श्री..... पुत्र श्री.....

निवासी ग्राम..... पोस्ट..... तहसील..... जिला..... वृक्षों की संख्या प्रजाति सहित.....

(सन्दर्भ में)..... पर वृक्षों का मुआवजा रूपया..... है। रिपोर्ट सेवा हेतु अग्रसारित है



17/10/2019
 9759523065
 203125
 9759523065
 203125



श्री

To

जनसूचना अधिकारी
 पार मिड कार पेरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 (भारत सरकार का उद्यम)

पता :- क्षेत्रीय मुख्यालय :- 3. बी - 3:12 - राणा काणपुरा
 172003

Pin 226001



From: HUB
To: HUB
Net provided 50-2813015

1032213731H
COMPTON HUB, 01-10-2019 14:23

AM:23-0102541M:13M6

RECEIVED NO. 03230015

